



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18082026-275537
CG-DL-E-18082026-275537

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4353]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 2026/श्रावण 23, 1948

No. 4353]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 2026/SHRAVAN 23, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2026

का.आ. 4533(अ).— केंद्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, बिहार राज्य में NH-31 (नया NH-20) के कोडरमा - रजौली खंड (Greenfield Highway) के चार-लेन विकास के लिए DPR तैयार करने हेतु कि.मी. 16+450 से 28+800 कि.मी तक जिला नवादा के निर्माण (दो/चार. छः लेन बनाने), उसके बाईपासों का निर्माण एवं पुनःसरेखण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अनुसूची के क्रमशः स्तंभ (4), स्तंभ (5), स्तंभ (6) और स्तंभ (7) में उल्लिखित राज्य जिलों, तालुकों, और गांवों से संबंधित उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भू-खंड के संबंध में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अनुसूची के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारियों के कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

बिहार राज्य में NH-31 (नया NH-20) के कोडरमा - रजौली खंड (Greenfield Highway) के चार-लेन विकास के लिए DPR तैयार करने हेतु कि.मी. 16+450 से 28+800 कि.मी तक जिला नवादा तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	बिहार	नवादा	रजौली	1 पिछली 2 परतोनियाँ

		Greenfield Highway के कि.मी 16.45 से कि.मी 28.8 तक				3 खैरचुआं
						4 फुलवरिया कलां
						5 सरैया
						6 सोहड़ा
						7 फुलवरिया खुर्द
						8 भौर
						9 हरदिया
						10 पड़रिया
						11 रामदासी
						12 रजौली
						13 घाट पोखरवां (110)
						14 तोतराही (109)
						15 चरघरवां (113)
						16 भौरी कलां (179)

[फा. सं. NHAI/PD/PIU/HZB/2026]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2026

S.O. 4533(E) .— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorises the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed hereto as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to State, Districts, Taluk, and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for building (Two/Four-Six laning), maintenance, management and operation of Consultancy Services for preparation of DPR for development of Four Laning of **Koderma – Rajauli Section (Greenfield Highway) NH-31 (New NH-20) Km. 16+450 to Km. 28+800 including its realignment and construction of bypasses in the District of Nawada in the State of BIHAR**

SCHEDULE

Land acquisition on **Koderma – Rajauli Section (Greenfield Highway) NH-31 (New NH-20) Km. 16+450 to Km. 28+800 including its realignment and construction of bypasses in the District of Nawada in the State of BIHAR**

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	District land acquisition officer	Greenfield Highway KM 16.45 TO KM 28.8	BIHAR	NAWADA	Rajauli	1 Pichhli 2 Partauniyan 3 khairachuan 4 Phulwariya Kalan

						5	Saraiya
						6	Sohda
						7	Phulwariya Khurd
						8	Bhaunr
						9	Hardiya
						10	Parariya
						11	Ramdasi
						12	Rajauli
						13	Ghat Pokharwan (110)
						14	Totrahi (109)
						15	Chargharwa (113)
						16	Bhaunri Kalan (179)

[F. No. NHAI/PD/PIU/HZB/2026]

SHAIKH AMINKHAN, Director